राजस्थान सरकार

आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा राजस्थान, जयपुर

क्रमांक एफ 12 ( )पीआईएल/आयो/निकाशि/2013/2008 दिनांक 26 अगस्त, 2019

समस्त प्राचार्य,
राजकीय महाविद्यालय,
राजस्थान।

विषय :-डी.बी.सिविल रिट याचिका सं. 3673/13 राधा शेखावत बनाम राज्य एवं अन्य में पारित आदेश के संबंध में ।

संदर्भ :-माननीय उच्च न्यायालय जयपुर के आदेश दिनांक 09.08.2019

उपर्युक्त विषयान्तर्गत माननीय उच्च न्यायालय जयपुर के आदेश दिनांक 09.08.2019 में सभी राजकीय एवं निजी महाविद्यालयो में टायलेट एवं यूनिल्स की सुविधाएं उपलब्ध करवाने के संबंध में यह आदेश दिया गया है कि समस्त महाविद्यालयों में शौचालय, यूरिनल्स तथा पेयजल की व्यवस्था छात्र-छात्राओं की संख्या के अनुरूप आवश्यक रूप से हो, साथही इनकी साफ-सफाई की समुचित व्यवस्था की जावे। इस संबंध में विभाग के पत्रांक 1464 दिनांक 20.4.2015 के द्वारा शौचालय एवं यूरिनल्स निर्माण के लिए विभाग द्वारा मानदण्ड निर्धारित किये गये हैं (संलग्न)।

इस हेतु आपको निर्देशित किया जाता है कि शौचालय एवं यूरिनल्स निर्माण इनकी साफ-सफाई तथा पेयजल की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए छात्रनिधि कोष तथा महाविद्यालय विकास समिति कोष में उपलब्ध राशि का नियमानुसार उपयोग कर माननीय उच्च न्यायालय जयपुर के आदेश की पालना दिनांक 15-9-2019 तक आवश्यक रूप से करना सुनिश्चित करें।

संलग्न :- उपर्युक्तानुसार

(प्रदीप कुमार बोरड़)
आयुक्त, कॉलेज शिक्षा एवं
विशिष्ट शासन सचिव, उच्च शिक्षा विभाग
, राजस्थान, जयपुर।

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है -

1 निजी सचिव, महाधिवक्ता राजस्थान,जयपुर।
2 उपविधि परामर्शी, कॉलेज शिक्षा राजस्थान,जयपुर ।
3 समस्त सहायक निदेशक, क्षेत्रीय कार्यालय, कॉलेज शिक्षा राजस्थान को प्रेषित कर लेख है कि माननीय उच्च न्यायालय जयपुर के आदेश की पालना संबंधित राजकीय महाविद्यालयों में करवाया जाना सुनिश्चित करावें।
4 प्रभारी वेबसाइट, कॉलेज शिक्षा राजस्थान जयपुर को वेबसाइट पर अपलोड करने बाबत।

दीपाली भार्गव
(डॉ. दीपाली भार्गव)
संयुक्त निदेशक (आयोजना)
कॉलेज शिक्षा राज.,जयपुर

कार्यालय आयुक्त कालेज शिक्षा राजस्थान, जयपुर

क्रमांकःएफ 12( )आयो/आकाशि/13/ 1464 दिनांकः 20-4-15

समस्त प्राचार्य,
राजकीय महाविद्यालय
राजस्थान।

विषयः डा0बी0सि0(पीआईएल) याचिका संख्या 3673/13 राधा शेखावत बनाम राज्य एवं अन्य।

संदर्भः इस कार्यालय के पत्रांक एफ 12( )आयो/आकाशि/13/745 दिनांक 2.7.14 एवं समसंख्यक पत्र क्रमांक 816 दिनांक 25.7.14.

महोदय,

उपर्युक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र के क्रम में लेख है कि माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने सभी राजकीय महाविद्यालयों/निजी महाविद्यालय में टॉयलेट एवं यूरिनल्स की सुविधाएं उपलब्ध कराने के संबंध में दिनांक 26.11.2014 को यह आदेश दिया है कि समस्त महाविद्यालयों में शौचालय, यूरिनल्स तथा पेयजल की व्यवस्था छात्र–छात्राओं की संख्या के अनुरूप आवश्यक रूप से की जावे। साथ ही इन शौचालयों में साफ–सफाई तथा प्रोपर ड्रेनेज व्यवस्था का रख–रखाव भी सुनिश्चित करावें।

अतः आप सभी को निर्देशित किया जाता है कि सभी राजकीय/निजी महाविद्यालयों में निम्न मानदण्ड के अनुसार शौचालय एवं यूरिनल्स उपलब्ध कराने की व्यवस्था दिनांक 30.06.2015 तक आवश्यक रूप से की जावेः–

NORMS FOR CONSTRUCTION OF TOILETS AND URINALS IN GOVERNMENT /PRIVATE Co-Ed AND GIRLS COLLEGES IN RAJASTHAN

Co-Ed Colleges				Girls Colleges	
Strength of Students	For Boys No. of Toilets	For Boys No. of Urinal Pans	For Girls No. of Toilets	Strength of Students	No. of Toilets
Upto 500	2	10	5	Upto 500	10
500-1000	4	15	10	500-1000	15
1001-2000	6	20	15	1001-2000	20
2001-4000	8	25	20	2001-4000	25
4001-6000	10	30	25	4001-6000	30
6001 and above	12	35	25	6001 and above	35

For Staff	For Gents No. of Toilets	For Gents No. of Urinal Pans	For Ladies No. of Toilets
Upto 50	1	2	1
51-100	2	4	2
101-150	2	6	5
151-200	3	8	8
201-250	5	10	10

समस्त प्राचार्यो को यह निर्देश दिये जाते है कि शौचालयों एवं यूरिनल्स के निर्माण के लिए छात्र निधि कोष तथा विकास समिति कोष में उपलब्ध राशि का उपयोग नियमानुसार करें। इस निर्देश को प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति मानते हुए निर्धारित तिथि तक शौचालयों एवं यूरिनल्स का निर्माण किया जावे तथा की गई प्रगति से प्रत्येक माह की 5 तारीख तक निम्न हस्ताक्षरकर्ता को अवगत कराया जावे।

19/4
(श्रवण साहनी)
आयुक्त कालेज शिक्षा एवं
पदेन विशिष्ट शासन सचिव, उच्च शिक्षा
राजस्थान, जयपुर

क्रमांक:एफ 12( )आयो/आकाशि/13/1465-72 दिनांक: 20.4.2015

प्रतिलिपि निम्न लिखित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है:-

1. निजी सचिव, महाधिवक्ता, राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान, जयपुर।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, प्रारम्भिक शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
4. संयुक्त विधि परामर्शी, प्रारम्भिक शिक्षा (विधि प्रकोष्ठ विभाग), राज0, जयपुर।
5. निजी सचिव, शासन सचिव, उच्च शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
6. संयुक्त निदेशक, निजी संस्थाएं, आयुक्तालय को प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि निजी क्षेत्र के समस्त महाविद्यालयों में उक्त मानदण्डानुसार शौचालय एवं यूरिनल्स का निर्माण कराना सुनिश्चित करावें।
7. उप विधि परामर्शी, आयुक्तालय।
8. नोडल अधिकारी, आयुक्तालय।
9. बैव साईट प्रभारी को विभागीय वेवसाइट पर अपलोड करने हेतु।
10. प्राचार्य, समस्त निजी महाविद्यालय, राजस्थान को प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि उक्त मानदण्डानुसार एवं निर्धारित अवधि में महाविद्यालय में शौचालय एवं यूरिनल्स का निर्माण करवा कर संयुक्त निदेशक, निजी संस्थाएं, आयुक्तालय को अवगत करावें।

(हस्ताक्षर)

संयुक्त निदेशक,

कॉलेज शिक्षा, राज0, जयपुर